न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 80/2019
प्रार्थना पत्र दायरी दिनांक : 03/08/2019
निर्णय दिनांक : 23/09/2019

1. सहदेव पुत्र नाथूराम, जाति मीणा, निवासी कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. सुगनाराम पुत्र नाथूराम, जाति मीणा, निवासी कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

--- प्रार्थीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामनाथ, जाति खारोल, निवासी कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. राधेश्याम
3. सत्यनारायण
4. रामनारायण
5. रामरतन
6. जुगलकिशोर
7. कृष्णावतार

पुत्रान रामस्वरूप, जातियान खारोल, निवासीगण कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

--- अस्तविक अप्रार्थीगण

8. अर्जुन पुत्र नाथूराम, जाति मीणा, निवासी कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
9. रामफूल पुत्र म्होरू, जाति मीणा, निवासी कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
10. रामकिशोर पुत्र म्होरू, जाति मीणा, निवासी कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
11. प्रभातीदेवी पत्नी म्होरू, जाति मीणा, निवासी कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
12. कैलाशी बेवा बाघाराम
13. सीतादेवी पुत्री बाघाराम
14. ममता पुत्री बाघाराम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

15. गीतादेवी पुत्री बाघाराम
16. चन्दादेवी बेवा महावीर
17. दीपचन्द पुत्र महावीर
18. पूजा पुत्री महावीर
19. आशा पुत्री महावीर
20. श्रवण पुत्र शैतान
21. नौरत पुत्र शैतान
22. रामरतन पुत्र शैतान
23. भगवतीदेवी पत्नी शैतान

समस्त जातियान मीणा, निवासीगण कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

24. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
25. सबरजिस्ट्रार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

--- फोरमल अप्रार्थीगण

26. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा झरना, तहसल मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

--- अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री भैरूलाल शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री नारायणसहाय पारीक
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण
अप्रार्थी संख्या 24 व 25 की ओर से पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 26 फोरमल पक्षकार हैं।

निर्णय दिनांक 23/09/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 के खाता संख्या 75 के आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर जिसकी वर्तमान खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 ल. 7 के नाम दर्ज है, जो गलत एवं नूमाईशी है

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) वूदू

Scanned by CamScanner

मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 8 लगायत 23 मुताबिक हिस्सा 1/2 अनुसार काबिज काश्त है तथा लगान खातेदार के मार्फत जमा कराते आ रहे हैं। ग्राम कापडियावासकलां, तहसील मौजमाबाद खालसा का ग्राम रहा है, वरवक्त खालसा सम्वत 1988 मिसल हकीयत बन्दोबस्ती ग्राम कापिडयावासकलां तह0 मौजमाबाद निजामत सांभर राज सवाई जयपुर के तत्समय जारी राजस्व रिकार्ड के अनुरूप खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 430 की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 के पिता नाथूराम के पिता गंगाराम व धोकला पुत्र लक्ष्मण जाति मीणा हिस्सा 1/2 व रामनाथ व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता रामनाथ वल्द श्योराम जाति खारोल हिस्सा 1/2 सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में ईन्द्राज बखूबी खातेदारी किया गया है तत्समय से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 23 के बुजुर्गान पूर्व में धोकला व गंगाराम पि0 लक्ष्मण तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण के पिता नाथूराम पुत्र गंगाराम एवं नाथूराम के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 23 मौके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा जमाना जागीर से अलहदा अलहदा सीर मेर कायम कर मौके पर बिना कोई बाधा रूकावट काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 8 ल. 23 के विरूद्ध 1988 से आज दिनांक तक कब्जा प्राप्ति हेतु कोई कानूनी कार्यवाही प्रस्तुत नही की है मौके पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे हैं वर्तमान में सावणु की फसल हेतु बाहजोत कर फसल हेतु तैयार कर फसल बोह दी हैं। वंशावली पेश कर बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 23 नाथूराम पुत्र गंगाराम के वारिशान है, जिनका आराजी खसरा नम्बर 430 पर पूर्वज गंगाराम तत्पश्चात नाथूराम के समय से अर्थात प्रथम मिशल हकीयत बन्दाबस्त सम्वत 1988 से एवं तत्पश्चात पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 एवं राज0 काश्त0 अधि0 1955 के प्रार्दुभाव से पूर्व से ही कब्जा है, वर्तमान में प्रार्थीगण हिस्सा 1/6 व अप्रार्थी संख्या 8 हिस्सा 1/12 तथा अप्रार्थी संख्या 9 ल0 11 हिस्सा 1/2 अप्रार्थी संख्या 12 ल0 15 हिस्सा 1/12 तथा अप्रार्थी संख्या 16 ल0 19 हिस्सा 1/60 तथा अप्रार्थी संख्या 20 ल0 23 हिस्सा 1/15 हिस्सा के अनुरूप मौके पर 04 बीघा 13 बिस्वा को सामलाती रूप से अपने-अपने हिस्से अनुरूप खर्चा लगाकर काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में कब्जा हैं। अन्य खसरा नम्बर के साथ साथ खसरा नम्बर 430 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा जो ग्राम कापडियावास कलां में है की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 7 के नाम गुमाईशी दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा नम्बर 430 के रकबे में 1/2 हिस्से पर रामस्वरूप का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण के पिता नाथूराम का कब्जा जमाना जागीर एवं राज0 काश्त0 अधि0 लागू होने के पूर्व से चला आ रहा है परन्तु सैटलमेन्ट के कर्मचारियों ने सहवन से खसरा नम्बर 430 के सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र रामनाथ अप्राथी संख्या 01 के नाम से दर्ज कर दी गयी है, जो कि गलत थी यद्यपि कब्जा सम्वत 2011 से पहले से ही आज तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी सांख्या 8 ल. 23 का चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से को काफी विकसित कर लिया है, जिसमें हजारों रूपये खर्च हो गये है जमीन विकसित होने के कारण उपज बढ गयी है जिसे देखकर अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो गयी है वह अपने नाम खातेदारी दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाने के उद्देश्य से अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 ल. 7 के नाम से एक दान–पत्र दिनांक 14/07/2015 को पंजीकृत सबरजिस्ट्रार कार्यालय मौजमाबाद के नाम से करवा दिया, जो विभिन्न कारणों से बातिल व बेअसर हैं। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 ने प्रार्थीगण को व अप्रार्थी संख्या 8 ल0 23 को उनके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से एक अनजान व्यक्ति से सौदा कर लिया है दिनांक 28/12/2017 को अनजान व्यक्ति व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 7 खसरा नम्बर 430 पर आये और प्रार्थीगण के हिस्से की उपजाऊ जमीन को अपनी बताते हुये विक्रय करने की बात की जब प्रार्थीगण ने आपत्ति की तो अनजान व्यक्ति ने कहा कि मैने जमीन को क्रय कर लिया है अब मैं तुम्हें बेदखल करूंगा, जिससे यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निर्षधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 ल. 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि आराजी खसरा नम्बर 430 हिस्सा 1/2 को अप्रार्थी संख्या 1 ल0 7 न किसी को विक्रय करें, न रहन करें, न अन्य किसी भी विधि से स्थानान्तरण करें, न प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 ल0 23 को बेदखल करें न कब्जे काश्त में व्यवधान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 ल. 7 की ओर से श्री नारायण सहाय पारीक एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

सहायक कलक्टर
(कास्ट टेक) दूदू

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 के खाता संख्या 75 ग्राम कापडियावास कलां, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011–2014, 2015–2018, 2019, 2021–2023, 2028–2030, अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि विवादित आराजीयात जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के नाम से दर्ज है, जो जरिये दान–पत्र के इनके नाम दर्ज हुयी है लेकिन प्रार्थीगण उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के नाम से गलत दर्ज होना अंकित कर अपना कब्जा काश्त बताते हुये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने बाबत निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सिजरा एवं दस्तावेज मिसल हकीयत एवं अन्य दस्तावेजात से यह साबित होता है कि उक्त आराजीयात पूर्व में धोकल्या व गंगाराम पि0 लछमन कौम मीना हिस्सा 1/2, रामनाथ वल्द श्योराम कौम खरोल सा0 देह हिस्सा 1/2 के नाम से दर्ज थी जो सम्वत 2011 के पर्चा सैटलमेन्ट में अकेले रामनाथ के पुत्र रामस्वरूप के नाम से दर्ज हुयी है, इसलिये अब न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न का निर्धारण करना है कि उक्त आराजी किस प्रकार से अकेले अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुयी। इस तथ्य का निर्धारण नियमित वाद मे किया जा सकता है लेकिन प्रार्थीगण ने विवादित आराजी में अपना कब्जा एवं हक व हिस्सा बताकर अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का निवेदन किया है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार होने से इन्कार किया हैं इस प्रकार मुख्य विवाद यह है कि क्या जो आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से है, उसमें प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व हिस्सा बनता है और इसकी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं इन सभी प्रश्नों का निर्धारण मूल वाद में ही हो सकता है, लेकिन चूंकि विवादित आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के नाम से दर्ज है, ऐसी स्थिति में यदि वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण द्वारा आराजीयात का हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रकरण में ओर ज्यादा पेचीदगीया बढेगी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

सहायक कलक्टर
(कास्ट टेक) दूदू

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को तापैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 430 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम कापडियावास कलां, तहसील मौजमाबाद के राजस्व रिकार्ड एव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक दूदू

Scanned by CamScanner